न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु.नं. 83 / 2022 तारीख रजू :– 04.07.2022

पीठासीन अधिकारी :– सुनीता मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. रामसिंह पुत्र मंगल मीना
2. काडूराम पुत्र मंगल मीना
3. ओमप्रकाश पुत्र मंगल मीना
   निवासीयान नाँदकलां, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज.)।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. अंगद पुत्र गुल्या मीना,
2. उदयराज पुत्र रामदयाल मीना
3. कंचनबाई पुत्री भजनीराम मीना
4. गिर्राज पुत्री भजनीराम मीना
5. जगमोहन पुत्र भजनीराम मीना
6. प्रेमबाई पुत्री भजनीराम मीना
7. बाढा पुत्री भजनीराम मीना
8. लखनलाल पुत्र भजनीराम मीना
9. शिवदयाल पुत्र भजनीराम मीना
10. सोनबाई पुत्री भजनीराम मीना
11. कमल पुत्र भरत्या मीना
12. चिंरजी पुत्र भरत्या मीना
13. कैलाश पुत्र विर्रू मीना
14. चैनी पत्नी विर्रू मीना
15. रामसिंह पुत्र विर्रू मीना
16. शिंभुदयाल पुत्र विर्रू मीना
17. हेमराज पुत्र विर्रू मीना
18. कैलाश पुत्र रामकुंवार मीना
19. सवाई पुत्र रामकुंवार मीना
20. रूकमणी पत्नी रामकुंवार मीना
21. कैलासहाय पुत्र परमा मीना
22. रामकरण पुत्र परमा मीना
23. गिरधारी पुत्र रघुनाथ मीना
24. दिल्लो पत्नी रघुनाथ मीना
25. शिवराम पुत्र रघुनाथ मीना
26. जलधारी पुत्र लालचंद मीना
27. मलुवा पुत्र लालचंद मीना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

28. हंसराज पुत्र लालचंद मीना
29. नाथूलाल पुत्र रेवड्या मीना
30. लोहड्याराम पुत्र रेवड्या मीना
31. श्रीफूल पुत्र प्रभु मीना
32. लोहडीसी पुत्री प्रभु मीना
33. परसादी पुत्र चरत्या मीना
34. अशोक पुत्र बृजमोहन मीना
35. मुकेश पुत्र बृजमोहन मीना
36. भोलाराम पुत्र बृजमोहन मीना
37. पिन्टू पुत्र बृजमोहन मीना
38. मन्नी पत्नी बृजमोहन मीना
39. पृथ्वीराज पुत्र रामसहाय मीना
40. भवानी पुत्र रामसहाय मीना
41. मिथलेश कुमार पुत्र रामदयाल मीना
42. लोकेश पुत्र रामदयाल मीना
43. रामभरोसी पुत्र रामदयाल मीना
44. हरसहाय पुत्र कोरया मीना

निवासीयान— नाँदकलां, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज.)।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :— श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 29/4/2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि ग्राम नांद, तहसील टोडाभीम की आराजी हाल खसरा नंबर 1152 रकबा 0.22 है0, 1153 रकबा 0.17 है0, 1154 रकबा 0.16 है0, 1156 रकबा 0.10 है0, 1157 रकबा 0.24 है0, 1158 रकबा 0.32 है0, 1173 रकबा 0.53 है0, 1174 रकबा 0.75 है0, 1187 रकबा 0.36 है0, 1189 रकबा 0.38 है0, 1196 रकबा 0.22 है0, 1197 रकबा 0.23 है0, 1198 रकबा 0.32 है0, 1296 रकबा 0.42 है0, 1298 रकबा 0.05 है0, 1299 रकबा 0.10 है0, कुल 16 कुल रकबा 4.57 है0 जिसमें प्रार्थी नं. 1 वहिस्सा 1/33, प्रार्थी नं. 2 वहिस्सा 1/33, प्रार्थी नं. 3 वहिस्सा 1/33 एवं शेष हिस्से के दीगर अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज हाल राजस्व रिकॉर्ड हैं। मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत बटवारा नहीं हुआ है। भूमि मुतनाजा के प्रत्येक इंच भू भाग पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण प्रत्येक अपने क्रमशः 1/33—1/33 हिस्से पर साल दर साल फसल दर फसल काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण या दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का विवादित आराजी से नहीं है, फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजीयात पर शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देते हैं, आये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

दिन प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में नाजायज प्रवेश कर हडपने की फिराक में रहते हैं। अप्रार्थीगण लट्ठ के बल पर प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा फिसाद रहते हैं।

मद नं. 4 में वाका दर्ज किया है कि दिनांक 19.07.2022 को प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजीयात मुतजिका मद नं. 2 प्रार्थनापत्र पर आगामी फसल की तैयारी कर रहे थे तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर आये और प्रार्थीगण से कहा कि तुम्हारे हिस्से की आराजी को अब हम काश्त करेंगे, तुम्हारा इस आराजी से कोई संबंध नहीं है, तुम आज के बाद काश्त मत करना। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कहा कि भाईयों यह आराजी तो हमारे हिस्से की आराजी है, इससे तुम्हारा क्या संबंध है, फिर भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम तहसील में चलकर भूमि मुतनाजा का विधिवत बंटवारा करा लो। इतना सुनते ही अप्रार्थीगण ने नाराज होकर प्रार्थीगण से एलानियां कहा कि अब हम ना ही तो इस आराजी का विधिवत बंटवारा ही करायेंगे और ना ही तुमको तुम्हारे हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त ही करने देंगे और बिना विधिवत बंटवारा कराये ही दीगर अजनबी लठैत व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर तुम्हें बेदखल करेंगे, तुम्हारा इस आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के हिस्से से उक्त आराजी में साफ इन्कार कर दिया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से काफी हाथाजोडी की एवं पंच पटेलान से भी समझवाया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उक्त गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को भारी हकतलफी होगी जिसकी पूर्ति इन टर्म्स ऑफ मनी भी संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अन्त में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से आराजीयात मुतजिक्रा मद नं. 2 प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण प्रत्येक के क्रमशः 1/33–1/33 हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने में कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करे, बिना विधिवत बंटवारा कराये भूमि मुतनाजा के किसी भी भू–भाग को रहन, वय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी से अप्रार्थीगण ना तो स्वयं बेदखल करे, ना ही किसी अन्य से करावे, ऐसा कोई कृत्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक प्रार्थीगण पर विपरीत प्रभाव पडे। भूमि मुतनाजा के रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 40, 43 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ दिनांक 17.08.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं अप्रार्थी सं. 5, 9, 12, 15, 19, 21, 24, 35, 44 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ दिनांक 31.10.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं अप्रार्थी सं. 3, 4, 6, 7, 10, 13, 17, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 41, 42 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ दिनांक 19.02.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:04:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली (राज.)

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में दस्तावेज फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 पेश की।

वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र में दर्ज तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया है कि विवादित आराजीयात में प्रार्थी सं. 1 वहिस्सा 1/33 का एवं प्रार्थी सं. 2 वहिस्सा 1/33 का, प्रार्थी सं. 3 वहिस्सा 1/33 का एवं शेष आराजी के दीगर अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज हाल राजस्व रिकॉर्ड हैं और प्रार्थीगण द्वारा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। वादग्रस्त आराजीयात का अभी तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। भूमि के प्रत्येक इंच भू भाग पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं, प्रार्थीगण प्रत्येक अपने 1/33–1/33 हिस्से पर साल दर साल फसल दर फसल काश्त करते चले आ रहे हैं जिससे अप्रार्थीगण या दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजीयात पर शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देते हैं, आये दिन प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में नाजायज प्रवेश कर हडपने की फिराक में रहते हैं। अप्रार्थीगण लट्ठ के बल पर प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा फिसाद रहते हैं। दिनांक 19.07.2022 को प्रार्थीगण अपने हिस्से की उक्त आराजीयात पर आगामी फसल की तैयारी कर रहे थे तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर आये और प्रार्थीगण से कहा कि तुम्हारे हिस्से की आराजी को अब हम काश्त करेंगे, तुम्हारा इस आराजी से कोई संबंध नहीं है, तुम आज के बाद काश्त मत करना। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कहा कि भाईयों यह आराजी तो हमारे हिस्से की आराजी है, इससे तुम्हारा क्या संबंध है, फिर भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम तहसील में चलकर भूमि मुतनाजा का विधिवत बंटवारा करा लो। इतना सुनते ही अप्रार्थीगण ने नाराज होकर प्रार्थीगण से एलानियां कहा कि अब हम ना ही तो इस आराजी का विधिवत बंटवारा ही करायेंगे और ना ही तुमको तुम्हारे हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त ही करने देंगे और बिना विधिवत बंटवारा कराये ही दीगर अजनबी लठैत व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर तुम्हें बेदखल करेंगे, तुम्हारा इस आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के हिस्से से उक्त आराजी में साफ इन्कार कर दिया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से काफी हाथाजोडी की एवं पंच पटेलान से भी समझवाया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उक्त गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को भारी हकतलफी होगी जिसकी पूर्ति इन टर्म्स ऑफ मनी भी संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी हकतलफी होगी। इस प्रकार प्राइमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के खिलाफ बखूबी साबित हैं।

वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल प्रार्थीगण के दस्तावेज एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 खाता सं. 130 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी सं. 1 वहिस्सा 1/33 का, प्र[illegible] वहिस्सा 1/33 का एवं प्रार्थी सं. 3 वहिस्सा 1/33 का खातेदार काश्तकार [illegible] है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि आराजीयात का अभी तक विधिवत [illegible]वारा नहीं हुआ है, प्रार्थीगण मौके पर भूमि मुतनाजा के 1/33–1/33 हिस्से पर काबिज एवं दखील[illegible] एवं साल दर साल फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय ... अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

दर फसल काश्त करते चले आ रहे हैं, जिससे अप्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार होना एवं प्रार्थीगण प्रत्येक का अपने 1/33–1/33 हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त होना साबित होने से प्राइमाफेसी केस प्रार्थीगण वखिलाफ अप्रार्थीगण होना साबित है और प्रार्थीगण अधिवक्ता का यह भी कथन रहा है कि अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने की एवं उक्त आराजीयात को बिना विधिवत बंटवारा कराये ही दीगर अजनबी लठैत व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने की धमकी देते हैं और दिनांक 19.07.2022 को भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उक्त प्रकार की धमकी देते हुए प्रार्थीगण का उक्त आराजी में कोई हिस्सा होने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में किये गये उक्त कथनों के खिलाफ अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कोई चाराजोही नहीं की है। इस प्रकार प्रार्थीगण के कथन अकाट्य रहे हैं। यहां न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थीगण द्वारा तकास्मा का वादपत्र पेश किया है, कानूनन प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू भाग पर सम्मिलित कब्जा काश्त माना जाता है, यदि अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादग्रस्त आराजी के किसी भू भाग को रहन, वय या अन्य किसी प्रकार से दीगर किसी व्यक्ति को अंतरित कर दिया गया तो मुकदमों की बाहुल्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता और प्रार्थीगण को भारी हकतलफी होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्राइमाफेसी केस, अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त व सुविधा का संतुलन तीनों ही बिन्दू अपने पक्ष में व अप्रार्थीगण के खिलाफ बखूबी साबित किये हैं।

चूंकि प्राइमाफेसी केस, अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त व सुविधा का संतुलन तीनों ही बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित हुए हैं, इसलिए यह न्यायालय अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा पाबंद किया जाना उचित पाती है।

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा इस प्रकार पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से आराजीयात मुतजिक्रा मद नं. 2 प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण प्रत्येक के क्रमशः 1/33–1/33 हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने में कोई दखलअंदाजी पैदा नहीं करे, बिना विधिवत बंटवारा कराये भूमि मुतनाजा के किसी भी भू–भाग को रहन, वय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी से अप्रार्थीगण ना तो स्वयं बेदखल करे, ना ही किसी अन्य से करावे, ऐसा कोई कृत्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक प्रार्थीगण पर विपरीत प्रभाव पडे। भूमि मुतनाजा के रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 29/4/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी